# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री श्रवण कुमार चौहान, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, जैतारण (पाली) का स्थानान्तरण, राउमावि, दूदनी (पाली) किया गया। श्री श्रवण कुमार चौहान ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ, जोधपुर में अपील संख्या–488/2019 श्री श्रवण कुमार चौहान बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई। माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक–16.10.2019 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने पीड़ा व्यक्त करते हुए दिनांक–25.10.19 तक एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा दिनांक–11.11.19 तक निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री श्रवण कुमार चौहान द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षक होने तथा स्थानान्तरण राउमावि, दूदनी (पाली) के स्थान पर राउमावि, रामावासकला या राउमावि, गरनिया (पाली) में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों पर मनन व परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय अधिकरण के निर्णय के कम में श्री श्रवण कुमार चौहान, व्याख्याता (हिन्दी) के स्थान पर अन्य व्यक्ति का पदस्थापन हो जाने एवं उनके द्वारा कार्यग्रहण कर लेने के कारण पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में इनका समायोजन राउमावि, रामावासकलां, पाली में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./श्रवणकुमार चौहान/488/2019/14 दिनांक– 06/11/19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, पाली
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य–
9. संबंधित कार्मिक–
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर